



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 578 राँची, सोमवार,

9 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

26 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-63/2023- 26460 (HRMS)--श्री प्रकाश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-135/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3643, दिनांक 27.10.2023 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-847, दिनांक 25.06.2022 द्वार आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्री प्रकाश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची में दिनांक 28.02.2019 से 14.06.2021 तक कार्यरत थे। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर M.A. No. 631/2017 चेतमन कुमार बनाम नरेन्द्र बुटाला एवं अन्य वाद में दिनांक 05.07.2019 को पारित आदेश पर अंचल अधिकारी, शहर राँची एवं उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर राँची द्वारा संयुक्त जाँच

प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-लालपुर, थाना सं०-197, एम०एस० प्लॉट सं०-1359, संगत के०एम० प्लॉट सं०-30 खास महाल लीज भूमि है, जिसका अंतरण बिना विभाग की सहमति के किया गया है तथा वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर व्यवहार न्यायालय में उक्त भूमि का अधिकार स्वत्वहित एवं दखल कब्जा घोषित कराने के लिए Title Suit संख्या- 235/2012 दायर किया गया ।

उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा सुनवाई के क्रम में आदेश पारित करते हुए खास महाल भूमि से संबंधित सूची तैयार कर समर्पित करने का आदेश दिया गया। विभागीय पत्रांक-3999, दिनांक 23.10.2019 द्वारा पूर्व में प्रेषित मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्र के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में पत्रांक-670, दिनांक 03.03.2020 द्वारा श्री प्रकाश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया। पुनः न्यायालय के आदेशानुसार खास महाल भूमि से संबंधित लीज डीड संख्या, लीज समाप्ति की तिथि तथा वर्तमान में लीज भूमि पर दखल से संबंधित प्रतिवेदन के साथ दिनांक 14.02.2020 तक Fresh Affidavit दायर करने का निदेश दिया गया। किन्तु श्री कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आदेश का अवहेलना करते हुए ससमय वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा दिनांक 11.06.2021 में पारित आदेश जो निम्नवत् है-

"This Court feels pain, as the concerned Officer i.e. Prakash Kumar, Circle Officer, Sadar (Town) Ranchi is not interested in assisting this Court properly nor interested in discharging his duty as Circle Officer nor interested in compliance of the order. He remained on the post for approximately two years and four months, but he has never shown his interest in discharging this duty as Government Servant. This Court has reasoned to believe, that till date the State has not filed any application before the learned Sub Judge in Title Suit No. 235/2012 to implead the State as a party. This shows conduct of the Circle Officer, Sadar (Town) Ranchi, Mr. Prakash Kumar.

Under the aforesaid circumstances, this Court directs the Additional Chief Secretary, Revenue, Registration and Land Reforms Department, Government of Jharkhand to take suitable action against this Officer, Mr. Prakash Kumar, as even after remaining for two years and four months, the order of this Court could not be complied as because not proper assistance has been provided by this Circle Officer, Mr. Prakash Kumar."

उपरोक्त आदेश के आलोक में पत्रांक-2367(ii)/रा0, दिनांक 28.06.2021 द्वारा बिन्दुवार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। उक्त वाद में पारित विभिन्न न्यायादेशों के अनुपालन हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करते हुए खास महाल की भूमि से संबंधित प्रतिवेदन ससमय माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में समर्पित करने हेतु बारम्बार निदेशित किये जाने के बावजूद श्री प्रकाश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची द्वारा वांछित प्रतिवेदन तैयार करने में उदासीनता के कारण वांछित प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया, जिसके लिए श्री कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची प्रथम दृष्टया दोषी परिलक्षित है।

2. श्री कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची का उक्त आचरण प्रथम दृष्टया पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7104, दिनांक 19.12.2023 द्वारा श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्री प्रकाश के पत्रांक-151, दिनांक 24.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया। उपायुक्त, राँची द्वारा खास महाल लीजधारियों के सर्वेक्षण के लिए शहर अंचल तथा अरगोड़ा अंचल के लिए क्रमशः 6 सदस्यीय तथा 4 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए टीम के वरीय प्रभारी उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर सह खास महाल पदाधिकारी, राँची को सहयोग प्रदान करते हुए सूची तैयार करने का निदेश दिया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उनके द्वारा सभी आवश्यक सहयोग पहुँचाया जाता रहा है। उनके द्वारा अपने कार्य में किसी प्रकार की उदासीनता नहीं बरती गयी। उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत, निराधार एवं अस्वीकार्य है। साथ ही, इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि इनके स्थानांतरण के पश्चात् मा0 न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों में आदेश पारित करने बावजूद भी लीज प्रदत्त सम्पत्ति को चिन्हित नहीं किया जा सका है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि गठित आरोप पत्र पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक-2341, दिनांक 07.11.2022 में प्रतिवेदित है कि इनके द्वारा दिनांक 25.10.2019 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर इस वास्तविकता से माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया था कि खास महाल भूमि का रखरखाव भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-खास महाल पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार का विषय है, अतएव खास महाल पदाधिकारी को भी मामले में सहयोग प्रदान करने हेतु निदेशित की जाय।

उपायुक्त, राँची को प्रेषित प्रतिवेदन पत्रांक-525, दिनांक 16.09.2020 में सर्वेक्षण टीम द्वारा सर्वेक्षण कार्य में आ रही कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया एवं संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन दिया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा खासमहाल भूमि से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किये जाने में सहयोग प्रदान की जा रही थी।

इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2021 को पारित आदेश पश्चात् इनका स्थानांतरण अंचल अधिकारी, शहर राँची से दिनांक 14.06.2021 को अन्यत्र हो गया। आरोपी पदाधिकारी के स्थानांतरण के पश्चात् भी खासमहाल भूमि से संबंधित प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन रही एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से स्पष्ट है कि दिनांक 23.11.2022 तक प्रतिवेदन मा0 न्यायालय में समर्पित नहीं की जा सकी थी। विषयांकित वाद में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01.2023 द्वारा अंततः वांछित प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए वाद को अंतिम रूप से निष्पादित की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रकाश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रकाश कुमार, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PARKASH KUMAR 20080400124	श्री प्रकाश कुमार, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-135/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
